महिला एवं शिक्षा

शिक्षा एक बुनियादी और बदलाव लाने वाला मानव अधिकार है। मानवाधिकरों का सार्वभौमिक घोषणापत्र (1948) घोषित करता है 'सबको शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है'। चाहे वह औरत हो या पुरुष। इसके बावजूद आधा जहान होने के बाद भी महिलाएं पिछड़ेपन का शिकार हैं। क्योंकि शिक्षा उनकी पहुँच से दूर है, या यह कहा जाए तो ज्यादा ठीक है कि शिक्षा उनसे दूर हो गई है। महिलाएं बड़ी संख्या में अशिक्षित है, इसके अनेक कारण हैं। सब से बड़ा कारण पैसों की तंगी है। धन की कमी की मार यूँ तो परिवार के सभी लोगों पर होता है, लेकिन इसका अधिक असर महिलाओं और बालिकाओं पर पड़ता है। कम खाना, खराब स्वास्थ्य और अशिक्षा उनका भाग्य बन जाता है। पैसों की तंगी के कारण उनको शिक्षा बीच में ही छोड़ देनी पड़ती है। इसके अलावा घरेलू कामकाज का बोझा भी उनको शिक्षा से दूरी की एक अहम वजह बन जाती है। त्यौहार और शादी, ब्याह की रस्में भी बालिकाओ को और अधिक व्यस्त कर देती है और लम्बे समय तक अनुपस्थिति का कारण बन जाती है। जिसका नतीजा ये होता है कि वह पढ़ाई-लिखाई में पीछे रह जाती हैं और पढ़ाई से उनका मन उचट जाता है। कम आयु में शादी हो जाने की वजह से भी बहुत सी बालिकाएं शिक्षा से वंचित रह जाती हैं। अक्सर यह भी देखा जाता है कि जब अशिक्षित और कम उम्र की लड़कियां शादी के बाद पति के घर जाती हैं तो नये परिवार की भावनाओं को नहीं समझ पाती हैं और परिवार के लोग हमेशा उनका मजाक उड़ाते हैं जिससे उनमें हीन भावना पैदा होने लगती है और मानसिक तनाव बना रहता है।

Scanned with CamScanner

अशिक्षित महिलाओं को न केवल पारिवारिक तनाव या कलह के दौर से गुजरना पड़ता है बल्कि आर्थिक, सामाजिक, नैतिक व अन्य प्रकार की समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है। इसका सीधा प्रभाव आने वाली पीढ़ी पर भी पड़ता है।

उत्तर प्रदेश में शिक्षा का स्तर :

सन् 2001 की भारतीय जनगणना के अनुसार भारत का कुल साक्षरता स्तर 64.8 प्रतिशत है, जिसमें 75.3 प्रतिशत पुरूषों का एवं 53.7 प्रतिशत महिलाओं का है। जहाँ एक ओर केरल में कुल साक्षरता स्तर 90.9 प्रतिशत है, जिसमें पुरूषों का 94.2 प्रतिशत एवं महिलाओं का 87.7 प्रतिशत है, वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश में कुल साक्षरता स्तर 56.3 प्रतिशत है, जिनमें पुरूषों का साक्षरता स्तर 68.8 प्रतिशत व महिलाओं का 42.2 प्रतिशत है। इसमें सिर्फ साक्षर पुरूष-महिलाओं का भी प्रतिशत है।

एन.एस.एस.ओ. के 61वें राउंड 2001 के अनुसार उत्तर प्रदेश में 0-8 वर्ष के उम्र के बच्चों का साक्षरता स्तर पुरूषों का 55.85 प्रतिशत और महिलाओं का 34.11 प्रतिशत था। एन.एस.एस.ओ. 2004-05 के अनुसार 0-6 साल का साक्षरता स्तार पुरूषों में 60.70 प्रतिशत व महिलाओं में 40. 60 प्रतिशत था। एन.एस.एस.ओ. 2001 के अनुसार 8-14 साल के बच्चों का साक्षरता स्तर 68.80 प्रतिशत पुरूषों का व महिलाओं का 42.20 प्रतिशत था।

एन.एस.एस.ओ. 2004-05 में साक्षरता स्तर पुरूषों 73.22 प्रतिशत व महिलाएं 49.27 प्रतिशत था जिनमें 10 प्रतिशत से भी अधिक बलिकाओं (11-14 वर्ष की उम्र) ने 2005 में स्कूल छोड़ दिया।

Scanned with CamScanner

4. कोठारी कमीशन (सन् 1964-1966) :

आयोग ने सुझाव दिया कि 'स्त्रियों की शिक्षा को प्रमुख कार्यक्रम के अंतर्गत रखना चाहिए और उन सभी समस्याओं को समाप्त करना चाहिए जो स्त्रियों की शिक्षा में बाधक हो।'

5. राष्ट्रीय शिक्षा नीति (सन् 1965) :

लड़कियों के शिक्षा पर न केवल सामाजिक न्याय की दृष्टि से बल देना चाहिए बल्कि इसलिए भी महत्व दिया जाए कि इससे सामाजिक परिवर्तन को गति मिलती है।

6. राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1968) :

- 14 वर्ष तक के बालक और बालिकाओं के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की जाए।
- सभी वर्गों के बालक एवं बालिकाओं को समान रूप से पढ़ने की सुविधा प्रदान की जाए।

7. राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986) :

महिलाओं की शिक्षा पर विशेष बल देते हुए कहा गया कि शिक्षा का उपयोग महिलाओं की स्थिति में बुनियादी परिवर्तन लाने के रूप में किया जाए।

लड़के-लड़कियों की शिक्षा में किसी प्रकार का भेदभाव न बरतने की नीति पर अमल किया जाए। मौजूदा और नई प्रौद्योगिकी में भी महिलाओं की भागीदारी बढ़ाई जाए।

Scanned with CamScanner

सकेगा।

- लड़की के अशिक्षित माता-पिता बालिका को स्कूल नहीं भेजना चाहते। वे शिक्षा के महत्व को नहीं समझ पाते। अतः अशिक्षा पुनः अशिक्षा को बढ़ावा देती है।
- विद्यालयों का दूर स्थित होना तथा शिक्षा संबंधी सुविधाओं का अभाव। कई बार किसी गाँव में एक भी विद्यालय नहीं होता और शिक्षा के लिए दूसरे गाँव जाना पड़ता है। माता-पिता अपनी बालिका को दूसरे गाँव भेजना नहीं चाहते।
- कई विद्यालयों में लड़कियों के लिए अलग शौचालय की सुविधा भी नहीं होती।
- कई लड़कियों की बीच में ही पढ़ाई छूटने से महिला साथी की कमी हो जाती है जिससे वे लड़कियां जो आगे पढ़ाई करना चाहती हैं, उनकी पढ़ाई अधूरी रह जाती है।
- यातायात के साधन की असुविधा और गाँव में पक्की सड़कों का न होना भी अशिक्षा का एक प्रमुख कारण है।

बालिकाओं की शिक्षा के लिए प्रयास :

- ऐसी भागीदारी प्रक्रियाएं शुरू की जाए जो स्कूल के प्रबंधन में स्थानीय समुदायों को सक्रिय भूमिका निभाने में सक्षम बनाएं ताकि लड़कियों का नामांकन और स्कूल में उनका बना रहना बढ़े।
- ऐसा दिशा निर्देशन और प्रशिक्षण जो लड़कियों की जरूरतों के प्रति संवेदनशीलता बढ़ता और लिंग सचेत परिप्रेक्ष्य का विकास करे।
- शिक्षा का स्तर को इस तरह से बढ़ाया जाए कि साक्षरता को सिर्फ हस्ताक्षर तक ही सीमित न रखा जाए, कम से कम लिख, पढ़ और समझ सकें।

Scanned with CamScanner

प्रवेश क्षमता	770	1036	1066
वास्तविक प्रवेश	777	933	1125
मेकेनिकल इंजीनियरिंग			
प्रवेश क्षमता	1700	1905	1905
वास्तविक प्रवेश	1736	1901	1962
इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग :			
प्रवेश क्षमता	880	971	971
वास्तविक प्रवेश	883	950	1064
अन्य			
प्रवेश क्षमता	4220	5363	5423
वास्तविक प्रवेश	4081	4569	4747
समस्त -			

Scanned with CamScanner

संसाधन तथा पढ़ने की सामग्री को भी सम्मिलित कियागया है, जिनमें मुफ्त स्कूल बैग, स्कूल ड्रेस और किताबें भी बच्चों को दी जाती है।

- **बेसिक शिक्षा परियोजना (I और II)** राज्य सरकार ने विश्व बैंक की सहायता से 1993 में उत्तर प्रदेश के 17 जिलों में यू.पी. बेसिक शिक्षा परियोजना-I शुरू की। इसका उद्देश्य सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा है। यू.पी.बी.ई.पी.-II को इन्हीं 17 जिलों में स्कूलों, अध्यापकों और शिक्षण कक्षों की जरूरत पूरी करने के लिए चलाया गया। ये जरूरतें नामांकनों में हुई बढ़त के फलस्वरूप पैदा हुई थी।

- **जिला प्राइमरी शिक्षा परियोजना (डी.पी.ई.पी.-II)** यह योजना 1997 में 18 जिलों में शुरू की गई। इसका उद्देश्य सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा देना था। इस योजना का लक्ष्य शिक्षा की पहुँच बढ़ाना, स्कूलों में बने रहने की दर बढ़ाना, गुणवत्ता में सुधार तथा संस्थानिक क्षमता का निर्माण है।

  विशेष लक्ष्य :

  - नामांकन, ड्राप आउट और शैक्षिक उपलब्धि में लिंग तथा सामाजिक समूहों के बीच अंतर को घटाकर 5 प्रतिशत से 2 प्रतिशत करना।
  - प्राइमरी स्तर पर औसत ड्राप आउट रेट को घटाकर 10 प्रतिशत से कम करना।
  - आधार अनुमान-स्तर पर आंकलित औसत उपलब्धि स्तर को कम से कम 25 प्रतिशत तक बढ़ाना।

- **यूनीसेफ समर्थित प्राइमरी शिक्षा परियोजना :** राज्य में एक संयुक्त यू.एन. परियोजना शुरू की गई है जो खास क्षेत्रों में छात्रों और छात्राओं के लिए रूचिकर शिक्षा जैसे कार्यक्रमों के जरिए

Scanned with CamScanner

- ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों को तकनीकी से जोड़ा जाए, ताकि उनका शिक्षा का स्तर शहरी बच्चों के बराबर का हो सके।
- गाँव के स्कूलों को शहरी स्कूलों से जोड़ा जाए, जिससे ग्रामीण स्कूलों भी शिक्षा के नये-नये तरीके सीख सके, ताकि शहर और गाँव के बीच बनी इस गहरी खाई को भरपाई की जा सके।

क्र.सं.	विभाग	2001-02	2005-06	2006-07
	इंजीनियरिंग कालेज की संख्या	8	7	7
1.	सिविल इंजीनियरिंग :			
	प्रवेश क्षमता	162	114	139
	वास्तविक प्रवेश	162	89	132
2.	मेकेनिकल इंजीनियरिंग			
	प्रवेश क्षमता	252	215	215
	वास्तविक प्रवेश	252	209	183
3.	इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग :			
	प्रवेश क्षमता	187	140	140
	वास्तविक प्रवेश	187	133	118
4.	अन्य -			
	प्रवेश क्षमता	1700	1245	1515
	वास्तविक प्रवेश	1700	1180	1408
	समस्त इंजीनियरिंग :			
	प्रवेश क्षमता	2301	1714	2009
	वास्तविक प्रवेश	2301	1611	1841

Scanned with CamScanner

64.	जौनपुर	59.8	76.2	44.1
65.	गाजीपुर	59.6	74.9	44.0
66.	चन्दौली	59.7	74.0	44.1
67.	वाराणसी	66.1	77.9	53.0
68.	सन्त रविदास नगर	57.9	75.8	38.4
69.	मिर्जापुर	55.3	69.6	39.3
70.	सोनभद्र	49.2	62.9	33.7
उत्तर प्रदेश		**56.3**	**68.8**	**42.2**

स्रोत : भारतीय जनगणना 2001 (सांख्यिकीय डायरी, उत्तर प्रदेश 2007)

उत्तर प्रदेश में स्तरानुसार विद्यार्थियों की भर्ती

(हजार)

कक्षा	लिंग		2001-02	2005-06	2006-07
1-5 तक	1.	बालक	9506	13567	13900
	2.	बालिकायें	6098	11620	11912
		योग :	**15604**	**25187**	**25812**
6-8 तक	1.	बालक	3641	4271	4376
	2.	बालिकायें	1807	3001	3077
		योग :	**5448**	**7272**	**7453**
9-12 तक	1.	बालक	2773	3852	3946
	2.	बालिकायें	1097	2220	2276
		योग :	**3870**	**6072**	**6222**

स्रोत : शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश (सांख्यिकीय डायरी, उत्तर प्रदेश, 2007)

Scanned with CamScanner

भारतीय संविधान और शिक्षा :

अनुच्छेद 54 में कहा गया कि : 14 साल तक के बच्चों के लिये मुफ्त शिक्षा उपलब्ध कराई जाए।

अनुच्छे 21A कहता है कि : राज्य 14 साल तक के सभी बच्चों को मुफ्त और आवश्यक शिक्षा प्रदान करेगा।

अनुच्छेद 45 के अनुसार : 6 साल तक के सभी बच्चों की शुरूआती देखभाल और शिक्षा उपलब्ध कराई जाए और साथ ही साथ 16 साल तक के बच्चों को भी शुरूआती देखभाल और शिक्षा उपलब्ध करायी जाए।

अनुच्छेद 51A के अनुसार : माता-पिता को भी अपने 6 से 14 साल तक के बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने के अवसर उपलब्ध कराने चाहिए।

शिक्षा के क्षेत्र से सुधार के लिये गठित आयोग व समितियाँ :

Scanned with CamScanner

क्र.सं.	राज्य	प्रति 100 पर साक्षरता		
		व्यक्ति	पुरूष	स्त्री
38.	हमीरपुर	57.4	71.9	40.1
39.	महोबा	53.3	67.7	36.4
40.	बांदा	54.4	69.3	36.8
41.	चित्रकूट	65.0	77.7	50.3
42.	फतेहपुर	56.3	69.0	41.9
43.	प्रतापगढ़	57.6	74.0	41.5
44.	कौशाम्बी	46.9	62.0	29.8
45.	इलाहाबाद	62.1	75.8	46.4
46.	बाराबंकी	47.4	58.8	34.3
47.	फैजाबाद	56.3	69.4	42.3
48.	अम्बेडकर नगर	58.4	71.4	45.3
49.	सुल्तानपुर	55.8	70.5	40.9
50.	बहराइच	35.2	45.6	22.8
51.	श्रावस्ती	33.8	46.7	18.6
52.	बलरामपुर	34.6	45.8	21.8
53.	गोण्डा	42.6	56.4	27.2
54.	सिद्धार्थनगर	42.3	56.7	27.1
55.	बस्ती	52.5	67.1	36.9
56.	सन्त कबीर नगर	50.9	66.6	34.9
57.	महाराज गंज	46.6	63.9	27.9
58.	गोरखपुर	58.5	73.6	42.9
59.	कुशीनगर	46.9	63.6	29.6
60.	देवरिया	58.6	75.0	42.5
61.	आजमगढ़	57.0	71.0	43.4

Scanned with CamScanner

प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति की योजनाएं :

- **आपरेशन ब्लैक बोर्ड** 1986-87 में शुरू किया गया। इसका उद्देश्य प्राइमरी स्कूलों को पर्याप्त सुविधायें तथा कम से कम दो अध्यापक और जरूरी अध्यापन-शिक्षण सामग्री, उपलब्ध कराना था। 2000-01 में इस योजना की मद में 10378 लाख रुपये का बजट पास किया गया।

- **शिक्षा गारंटी योजना** का उद्देश्य शैक्षिक रूप से अनछुए क्षेत्रों में 'विद्या केन्द्र' नामक शिक्षा केन्द्र खोलना था, जहाँ 6 से 11 वर्ष आयु समूह में कम से कम 30 बच्चे होने चाहिए। इन केन्द्रों में पंचायतें संविदा पर अध्यापक नियुक्त करती हैं और केन्द्र के लिए सामुदायिक स्तर पर स्थान उपलब्ध कराया जाता है।

- **दोपहर का भोजन** केन्द्र सरकार द्वारा शुरू की गई योजना छात्रों को शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करने वाली योजना है, जिसके तहत मान्यता प्राप्त प्राइमरी स्कूल के हर बच्चे को न्यूनतम प्रमाणित उपस्थिति के आधार पर प्रतिमाह अनाज दिया जाता है।

- **कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (के.जी.बी.वी.)** ग्रामीण एवं पिछड़े क्षेत्रों की बालिकाओं की शिक्षा को बेहतर करने के लिए यह योजना 25 क्षेत्रों में लागू की गयी। इसके अन्तर्गत 31 के.जी.बी.वी. स्कूल खोले गये जिनमें 7 स्कूल गैर सरकारी संस्थाओं की मदद से खोले गये। यह योजना उन बच्चों के लिए चलायी गयी, जिनकी शिक्षा बीच में छूट गयी हो।

- **सर्वशिक्षा अभियान** सन् 2001-02 में भारत सरकार द्वारा शुरू की गई यह योजना उत्तर प्रदेश के 16 जिलों में चलाई गई तथा 2002-03 से यह योजना सभी जिलों में लागू कर दी गई। 30 सितम्बर 2005 तक इस योजना के अन्तर्गत 8957 नये प्राथमिक स्कूल और 12167 नये जूनियर हाई स्कूल खोले गये। इस योजना में स्कूल भवनों का निर्माण एवं मरम्मत, शिक्षकों की ट्रेनिंग, जरूरी

Scanned with CamScanner

भारत के विभिन्न राज्यों में साक्षरता दर, 2001

क्र.सं.	राज्य	प्रति 100 पर साक्षरता		
		व्यक्ति	पुरुष	स्त्री
1.	आन्ध्र प्रदेश	60.5	70.3	50.4
2.	अरूणांचल प्रदेश	54.3	63.8	43.5
3.	आसाम	63.3	71.3	54.6
4.	बिहार	47.0	59.7	33.1
5.	गोवा	82.0	88.4	75.4
6.	गुजरात	69.1	79.7	57.8
7.	हरियाणा	67.9	78.5	55.7
8.	हिमाचल प्रदेश	76.5	85.3	67.4
9.	कर्नाटक	66.6	76.1	56.9
10.	केरल	90.9	94.2	87.7
11.	मध्य प्रदेश	63.7	76.1	50.3
12.	महाराष्ट्र	76.9	86.0	67.0
13.	मणिपुर	70.5	80.3	60.5
14.	मेघालय	62.6	65.4	59.6
15.	मिजोरम	88.8	90.7	86.7
16.	नागालैण्ड	66.6	71.2	61.5
17.	उड़ीसा	63.1	75.3	50.5
18.	पंजाब	69.7	75.2	63.4
19.	राजस्थान	60.4	75.7	43.9
20.	सिक्किम	68.8	76.0	60.4
21.	तमिलनाडु	73.5	82.4	64.4

Scanned with CamScanner

क्र.सं.	संस्था	2001-02	2005-06	2006-07
1.	विश्वविद्यालय	22	29	38+
2.	महाविद्यालय	836	1737	1892
3.	माध्यमिक विद्यालय	9063	13809	14745
4.	उच्च प्राथमिक स्कूल	20429	40021	44121
5.	प्राथमिक स्कूल	88927	134455	137368
6.	नर्सरी स्कूल	43	43	43

स्रोत : शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश (सांख्यिकीय डायरी, उत्तर प्रदेश, 2007)

उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में विद्यार्थी

(हजार)

क्र.सं.	संस्था	2001-02	2005-06*	2006-07*
1.	महाविद्यालय	1093	1516	1635
2.	माध्यमिक विद्यालय	5517	9313	9531
3.	उच्च प्राथमिक स्कूल	2976	5777	5960
4.	प्राथमिक स्कूल	12902	23474	24038
5.	नर्सरी स्कूल	12	13	13

स्रोत : शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश (सांख्यिकीय डायरी, उत्तर प्रदेश, 2007)

Scanned with CamScanner

23.	उत्तर प्रदेश	56.3	68.8	42.2
24.	पश्चिम बंगाल	68.6	77.0	59.6
25.	जम्मू एवं कश्मीर	55.5	66.6	43.0
26.	उत्तराखण्ड	71.6	83.3	59.6
27.	झारखण्ड	53.6	67.3	38.9
28.	छत्तीसगढ़	64.7	77.4	51.9

स्रोत : भारतीय जनगणना 2001 (सांख्यिकीय डायरी, उत्तर प्रदेश 2007)

उत्तर प्रदेश में 7 वर्ष तथा अधिक आयु की जनसंख्या में साक्षरता दर, 2001

क्र.सं.	राज्य	प्रति 100 पर साक्षरता		
		व्यक्ति	पुरूष	स्त्री
1.	सहारनपुर	61.2	70.9	50.0
2.	मुजफ्फरनगर	60.7	71.9	47.8
3.	बिजनौर	58.1	68.8	46.1
4.	मुरादाबाद	44.7	54.9	33.0
5.	रामपुर	38.8	48.2	27.9
6.	ज्योतिबाफुलेनगर	49.5	62.6	34.6
7.	मेरठ	64.8	75.0	53.1
8.	बागपत	64.2	77.0	49.2
9.	गाजियाबाद	69.7	79.8	58.0
10.	गौतम बुद्ध नगर	68.7	81.3	53.7
11.	बुलन्दशहर	59.4	74.3	42.5
12.	अलीगढ़	58.5	71.7	43.0
13.	हाथरस	62.5	76.3	46.3

Scanned with CamScanner

क्र.सं.	राज्य	प्रति 100 पर साक्षरता		
		व्यक्ति	पुरुष	स्त्री
14.	मथुरा	61.5	76.5	43.4
15.	आगरा	62.6	74.6	48.3
16.	फिरोजाबाद	64.5	75.9	50.9
17.	एटा	54.6	67.5	39.3
18.	मैनपुर	64.1	76.7	51.4
19.	बदायूँ	38.2	49.0	25.1
20.	बरेली	47.8	58.7	35.2
21.	पीलीभीत	49.8	62.5	35.1
22.	शाहजहाँपुर	49.1	59.7	36.3
23.	खीरी	48.4	59.5	35.4
24.	सीतापुर	48.3	60.0	34.6
25.	हरदोई	51.9	64.4	36.8
26.	उन्नाव	54.6	66.3	41.6
27.	लखनऊ	68.7	76.0	60.5
28.	रायबरेली	53.8	67.6	39.3
29.	फर्रूखाबाद	60.7	71.1	48.6
30.	कन्नौज	61.9	72.8	49.2
31.	इटावा	69.6	79.9	57.4
32.	औरैया	70.5	80.1	59.1
33.	कानपुर देहात	66.4	76.4	54.6
34.	कानपुर नगर	74.4	80.3	67.5
35.	जालौन	64.5	77.4	49.2
36.	झांसी	65.5	78.8	50.2
37.	ललितपुर	49.5	63.8	33.0

Scanned with CamScanner

डी.पी.ई.पी. के अनुपूरक के रूप में काम करेगी। इसके अलावा एक यूनीसेफ समर्थित परियोजना शुरू की गई है। यह राज्य के उन 6 जिलों में चलेगी जो डी.पी.ई.पी.III में शामिल नहीं है।

- **शिक्षा मित्र योजना :** राज्य ने, शिक्षा मित्र या अर्धशिक्षक योजना शुरू की है जिसके तहत 10+2 उत्तीर्ण युवकों को अर्धशिक्षक के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। इनमें से आधी नियुक्तियां महिलाओं की होगी। इस योजना के तहत स्थानीय शिक्षित व्यक्तियों को 1450 रूपये प्रतिमाह पर नियुक्त किया जाता है।

स्त्री शिक्षा की चुनौतियाँ :

पिछले वर्षों में भारत में स्त्री शिक्षा में उल्लेखनीय प्रगति हुई है किन्तु आज भी पुरूषों की अपेक्षा स्त्रियों में साक्षरता का स्तर काफी नीचे है। इसके लिए अनेक व्यक्तिगत, सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक कारण उत्तरदायी हैं, जो बालिकाओं और स्त्रियों तक शिक्षा के प्रकाश को पहुँचने में बाधाएं उत्पन्न करते हैं जिनमें से कुछ प्रमुख कारण निम्न हैं :-

- गाँवों का पुरूष प्रधान समाज अब भी बालिकाओं की शिक्षा को महत्वपूर्ण नहीं समझता। बालिकाओं की शिक्षा पर इसलिए भी ध्यान नहीं दिया जाता क्योंकि उन्हें विवाह के पश्चात दूसरे परिवार में जाना होता है और प्रायः नौकरियों में नहीं जाना होता है।
- माता-पिता के मन में उनकी बालिका की असुरक्षा की भावना भी उसे घर से बाहर जाकर पढ़ने के लिए रोक देती है।
- महिलाओं के अशिक्षित होने का प्रमुख कारण आर्थिक तंगी भी है। एक गरीब व्यक्ति यह सोचता है कि यदि उसकी बेटी घरपर रहकर छोटे भाई बहनों को देखती है तो माता-पिता दोनों बाहर काम करके पैसा कमा सकते हैं जिससे उनके बच्चों का पेट भर

Scanned with CamScanner

- छात्राओं को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराई जाए।
- माध्यमिक शिक्षा के लिए इच्छुक कन्याओं को विशेष सुविधाएं दी जाए।
- स्कूल से अधिक दूरी पर रहने वाली छात्राओं के लिए छात्रावास खुलवाये जाएं।
- स्त्रियों को अध्यापन कार्य के लिए प्रशिक्षित कर महिला अध्यापिका नियुक्त की जाये।

1. महिला शिक्षा राष्ट्रीय समिति (सन् 1958) :

इस समिति का प्रमुख उद्देश्य लड़कियों की प्राथमिक शिक्षा में वृद्धि, शिक्षा में बाधक प्रारम्भिक नियमों की समाप्ति, महिला शिक्षिकाओं की संख्या में वृद्धि, माध्यमिक स्तर तक लड़कियों के लिए अलग शिक्षण संस्थाओं की व्यवस्था आदि थे।

2. स्त्री शिक्षा संबंधी राष्ट्रीय समिति सन् 1958-59 :

इस समिति ने स्कूल पाठ्यक्रमों में विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं के योगदान को छिपाये जाने तथा इन्हें पुरूषों से हीन बताए जाने वाले असन्तुलित दृष्टिकोण को बदलने की बात की।

3. हंसा मेहता समिति :

सन् 1962 में हंसा मेहता समिति ने कहा कि बालक तथा बालिकाओं के पाठ्यक्रम में कोई अन्तर नहीं होना चाहिए।

Scanned with CamScanner